

प्रेषक,

श्री सत्याचरण श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव।  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित शासन के  
समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 1986।

विषय :- निगमों की सेवाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम  
अनुभाग-2

आप अवगत हैं कि निगमों की सेवाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिये जाने हेतु इस विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं और उनकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की जाती है किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि निगमों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ निगमों को इन निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें साथ ही मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि आप अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निगमों द्वारा प्रेषित मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा प्रभावी ढंग से करने तथा निगमों का सेम्पल सर्वेक्षण भी समय-समय पर करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
सत्याचरण श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव।

संख्या-232 (1)/चौवालिस-2/86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-4889/40-2-17(78)/85, दिनांक 28-12-85 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
सत्याचरण श्रीवास्तव,  
संयुक्त सचिव।